


268



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2011 जिला-उज्जैन

R-1531-PBR/2011

श्री. के.के. रिवी 8 वी.
द्वारा आज दि. 26/9/11 को
प्रस्तुत
के.के. रिवी
जिला न्यायाधीश
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

- (1) भेरूलाल पुत्र स्व. खेमराज गुर्जर
 - (2) नागू सिंह पुत्र स्व. खेमराज गुर्जर
 - (3) सविबाई पत्नी स्व. खेमराज गुर्जर
- निवासीगण- ग्राम उमरनी तहसील खाचरोद
जिला-उज्जैन (म.प्र.) आवेदकगण

विरुद्ध

- (1) ईश्वर सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह
 - (2) बने सिंह पुत्र मांगीलाल
 - (3) प्रभुसिंह पुत्र भंवर सिंह
 - (4) राधेश्याम पुत्र ओंकारलाल
 - (5) देवीसिंह पुत्र कानाजी
- निवासीगण- ग्राम उमरनी तहसील खाचरोद
जिला-उज्जैन (म.प्र.)
- (6) सर्वसाधारण जनता ग्राम उमरनी तहसील खाचरोद
जिला-उज्जैन (म.प्र.)
 - (7) श्रीमान् सहायक बंदोबस्त अधिकारी महोदय उज्जैन
 - (8) श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील
खाचरोद जिला-उज्जैन (म.प्र.) अनावेदकगण

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला-उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक
84/2008-09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22.09.2011 के
विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अर्धीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नांकित निवेदन है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

- 1- यहकि, ग्राम उमरनी तहसील खाचरोद जिला-उज्जैन में स्थित भूमि सर्व क्रमांक 248 पूर्व नम्बर 132 रकवा 0.47 हेक्टेयर पर आवेदकगण के पिता व पति स्व. खेमराज जी का लम्बे समय से अर्थात् 45-50 वर्षों से निरन्तर कब्जा कास्त करके चला आ रहा था। स्व. खेमराज जी द्वारा उक्त भूमि जो पूर्व में शासकीय थी, को काबिल कास्त बनाया तथा उसमें काफी मेहनत एवं आर्थिक व्यय

268

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1531-पीबीआर/11

जिला उज्जैन

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभियन्तों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|--|--|
| 5-12-18 | <p>आवेदक अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जा रही है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> | <p>प्रशासकीय सदस्य</p> |